




नय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं०:- 32/2020


तारीखरज:- 3/7/2020

उपनाम:- प्यारेलाल बनाम रत्तीराम वगै०

दावा वावत इस्तकरारहक, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

क्र.सं.	फर्द अहकाम
220	<p>वादी की और से श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत इस्तकरारहक, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 10.07.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
7-20	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नम्बर 1 से 6, 8, 10, 11, 12, 14 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv ने उपस्थित दर्ज की। प्रतिवादी नं. 18 व 19 की ओर से श्री रामभरणी गुप्ता Adv ने भी पेश किया। प्रतिवादी नं. 16, 17, बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं है, उनके बिकड़ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 7, 9, 13, 15 ससुराल चलाने व उनके लगान गाइको द्वारा ग्रह करने की लाभीली रिकॉर्ड की विधिवत लागू नहीं होने से उनके पुनः लगान तलबाना पेश करें। वकालतनामा, जबाब पेश करें व लगान तलबाना पेश करने दि० 7-8-20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
7-8-20	<p>खुलाम उपगतानुसार दिनांक 4-9-20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
4-9-20	<p>वकील उभायस उपस्थित। प्रतिवादी नम्बर 19 की ओर से वकालतनामा एवं जबाबदावा पेश किया जबाबदावा की वकालत वकील वादी को दिलवाई। प्रतिवादी नम्बर 1 से 6, 8, 10, 11, 12, 14 का वकालत</p>

2063-81
3/7/2020

अभिवादन


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

फर्द अहकाम

दिनांक

नामा एवं जबाबदावा पेश करने, प्रतिवादी नम्बर 18 का बकालतनामा पेश करने का वकीलान से समग्र-पाहा। एक शवखर दिनांक 7, 9, 13, 15 के पुनः समन तलवाना सही व पूर्ण पते पर पेश करे। पत्रावली दिनांक 28-9-20 को पेश हे।

9.9.20

वादी उपस्थित एवं उनकी ओर से श्री कृष्ण कुमार मिश्रा A.N. ने बकालतनामा पेश किया। शर्चना पत्र मिश्रा तलब कर दावा किलरीकल मिस्टेक से गलत पेश करने के कारण दावा बिदो करने, नया दावा पेश करने की इजाजत देते हुए खारिज करने का पेश किया। शर्चना पत्र पेश करने पर मिश्रा तलब की गई। वादी एवं वादी वकील ने नया दावा पेश करने की इजाजत देते हुए बिदो करने का कथन किया। शर्त: यह दावा, नया दावा पेश करने की इजाजत देते हुए बिदो करने की अनुमति दी जाती है तथा यह दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शुमा होकर नया से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Not-press

मि०

मोखर
Identified
M

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपसहाय अधिवक्ता टोडाभीम
जिला-करीली